

निबंधित

पत्रांक-15/एम 1-86/2014-1123

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक:- 16/6/15

विषय:- वारंसी महाविद्यालय, पाण्डेयगंगोट, नवादा को नवसंबंधन दिए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक जी-III-ए/449/13 दिनांक-19.11.2013 व एस0ओजी0-III-A दिनांक 15.08.2012 के द्वारा वारंसी महाविद्यालय, पाण्डेयगंगोट, नवादा के विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय के कतिपय विषयों में संबंधन प्रदान करने निमित्त प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त पाया गया कि कला व वाणिज्य में पुस्तकों की विषयवार संख्या 500 से कम है।

अतः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1098 दिनांक 19.04.86 व बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के कंडिका 21 (2) (d) में वर्णित शर्तों एवं बंधनों के आलोक में उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करते हुए 1 (एक) महीने के अंदर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएँ ताकि मामले में अग्रत्तर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

16/6/15

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
रजिस्ट्रार